न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना–पत्र (ट्रांसफर) संख्याः 26/2019

दायर दिनांकः 16.07.2019

आदेश दिनांक 13.09.2021

—:अनवानः—

श्रीमती भगवानी विधवा बद्रीलाल जी जाति जाट उम्र व्यस्क वर्ष निवासी बहेडा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

——— प्रार्थीया

—:बनामः—

1. श्रीमती झमकु पिता स्व. जसराज जी जाति जाट उम्र व्यस्क वर्ष निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती सीता देवी पति शान्तीलाल जी जाति जाट उम्र व्यस्क वर्ष निवासी चराणा हाल निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

————विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत सहायक कलक्टर महोदय रेलमगरा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 42/2019 प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण संख्या 268/2017 रे0 वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कराने बाबत।</u>

उपस्थितः—

1— श्री डूंगरसिंह कर्णावट, अधिवक्ता प्रार्थी
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनु0
2— श्री उदयलाल कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे एक रेवेन्यू वाद प्रकरण संख्या 42/2019 प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण संख्या 268/2017 रे0 वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कराने बाबत प्रस्तुत किया है। उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 02 के पति न्यायालय रेलमगरा कोर्ट में अधिवक्ता है। जिससे मुझे पूर्ण सम्भावना है कि न्यायालय रेलमगरा में मुझे सही न्याय नही मिल सकता हैं। जिस कारण प्रार्थी को सहायक कलक्टर, रेलमगरा से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से उक्त प्रकरणों का सहायक कलक्टर, राजसमन्द मे स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दोनो प्रकरणों की पत्रावलीयॉ न्यायालय सहायक कलक्टर, रेलमगरा से न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द में ट्रांसफर कराने का आदेश फरमाया जावें।

पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए। उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहॉ पर स्थानान्तरण हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण के द्वारा बहस में निवेदन किया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर

महोदय, रेलमगरा में यह प्रकरण विचाराधीन हैं। विपक्षी जान बुझकर उक्त प्रकरण को लम्बा करना चाहता हैं। इसलिए यह याचिका पेश की है। स्थानान्तरण का कोई आधार उक्त मामले में नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसे स्थानान्तरण हेतु सहायक कलक्टर, राजसमन्द के यहा पर ट्रांसफर कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी उक्त प्रकरण की वादी है तथां जानबुझ कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहती है। पत्रावली में अतंरण का ऐसा कोई ठोस आधार तथा दस्तावेज पेश नही किये है जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही हों। केवल विपक्षी संख्या 02 के पति न्यायालय रेलमगरा कोर्ट में अधिवक्ता होने के आधार पर विपक्षी के पक्ष में निर्णय करने की संभावना के आधार पर पत्रावली अंतरण नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र आधार हीन होने से खारिज किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थी जानबुझ कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराना चाहता है। पत्रावली में अतंरण का ऐसा कोई ठोस आधार तथा दस्तावेज पेश नही किये है जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही हों। केवल विपक्षी संख्या 02 के पति न्यायालय रेलमगरा कोर्ट में अधिवक्ता होने के आधार पर विपक्षी के पक्ष में निर्णय करने की संभावना के आधार पर पत्रावली अंतरण नही की जा सकती है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सहायक कलक्टर, रेलमगरा को प्रेषित करे ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)